सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 201 दर्ज तिथिः—03.07.2023

1. लाखाराम पुत्र भलाराम
2. केसरीमल पुत्र भलाराम
3. कालूराम पुत्र भलाराम
4. गुलाबाराम पुत्र भलाराम
5. वीराराम पुत्र भलाराम

जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी, गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी
2. भीखाराम चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी

जाति कलबी निवासी नई डाबली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—01.09.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—188, 209 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

13/3.0918 है0, 4/0.2995 है0, 5/0.0405 है0, 64/1/0.2509 है0, 69/2/4.4515 है0, 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी में से खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी वादग्रस्त आराजी है। वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 166/5 अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त आराजी दो ग्रामों की सरहद पर अवस्थित है। वादीगण की उक्त आराजी में से नहर निकलने से वादीगण की उक्त आराजी दो भागों में विभक्त हो गई। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठों को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा बाद विधिवत तामिल जरिये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे को लेकर वाद पेश किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त आराजी के खसरे वक्त सेटलमेंट से पृथक—पृथक हैं। प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 166/5 रकबा 11—18 बीघा मौजा नई डाबली पर प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय सहाकय कलक्टर गुड़ामालानी में उक्त आराजी की नेखमबंदी हेतु आवेदन संख्या 166/2021 बउनवान भीखाराम चौधरी बनाम पूनमचंद पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन दिनांक 26.10.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को प्रतिवादीगण की उक्त आराजी की नेखमबंदी हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2023 द्वारा पत्थर संख्या ए, बी, सी, डी एवं ई स्थापित कर प्रतिवादीगण की उक्त आराजी की पक्की नेखमबंदी की गई। उक्त नेखमबंदी कार्यवाही के दौरान वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 166/5 की नेखमबंदी रिपोर्ट के नेखम संख्या ए से सी पर वादीगण द्वारा धनबल एवं बाहुबल के आधार पर कब्जा कर बाड़ बनाना शुरू कर दिया गया। उक्त नेखमबंदी की जानकारी होते ही प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादीगण की नेखमबंदी कार्यवाही को रोकने एवं प्रतिकूल कब्जे को लेकर प्रस्तुत किया गया है। जो चलने योग्य नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त होने पर पत्रावली पर निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

1. *आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9236 है0 मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।*

.....वादी

2. *आया वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी पर मेड़ तोड़कर अतिक्रमण करने के प्रयासों को स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के माध्यम से गलत रूप से प्रस्तुत कर वादीगण अपने वास्तविक कब्जे काश्त से अधिक भूमि पर काबिज होने का प्रयास करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।*

.....प्रतिवादी

3. *आया वादीगण द्वारा प्रतिवादी के अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी के आवेदन को रोकने के लिए उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।*

.....प्रतिवादी

4. *अन्य दादरसी*

.....उभय—पक्षकारान

4. तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में वादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर वादीगण का साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा के कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण की नेखमबंदी कार्यवाही को रोकने एवं प्रतिकूल कब्जे को प्राप्त करने के दुराशय से पेश किया होने से वादी का उक्त वाद काबिल—ए—खारिज है।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

188. Injunction against wrongful ejectment—
(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.
(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-
(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

	वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

		2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। चूंकि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी की खातेदारी आराजी अलग—अलग राजस्व गांवों में राजस्व गांवों की सीमा पर अवस्थित होने से ऑवरलेपिंग की परिस्थिति का होना संभव है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी की खातेदारी आराजी अलग—अलग राजस्व गांवों में राजस्व गांवों की सीमा पर अवस्थित होने से ऑवरलेपिंग की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर प्रकरण में वादी व प्रतिवादी की खातेदारी आराजी अलग—अलग राजस्व गांवों में राजस्व गांवों की सीमा पर अवस्थित होने से ऑवरलेपिंग की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 201 दर्ज तिथिः—03.07.2023

1. लाखाराम पुत्र भलाराम
2. केसरीमल पुत्र भलाराम
3. कालूराम पुत्र भलाराम
4. गुलाबाराम पुत्र भलाराम
5. वीराराम पुत्र भलाराम

जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी, गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी
2. भीखाराम चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी

जाति कलबी निवासी नई डाबली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9226 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested

पर प्रकरण में वादी व प्रतिवादी की खातेदारी आराजी अलग—अलग राजस्व गांवों में राजस्व गांवों की सीमा पर अवस्थित होने से ऑवरलेपिंग की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 01.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:23 IST
Reason: SelfAttested